

C.No. - 184/2023

29/04/24

वकील वार्दी द्वारा ताम्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वारंते पत्रावली तलाब करने का बत पेश करने के कारण पत्रावली आदिनांम को नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वकील वार्दी द्वारा ताम्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वारंते वर पत्रावलिसे करने का बत पेश कर निवेदन किया गया की कदीगण एवं ततिकदीगण के मध्य अराजिनामा होगया है एवं उक्त वर को वारीगण आगे नहि पानना चाहते है। अतः वारीगण द्वारा पेश ताम्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वारंते वर विज्ञे करने का बत स्वीकार किया जाकर वारीगण के वर नो इस्ती स्तर पर खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर ले कम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनागढ (अजमेर)

~~2/2/23~~
Sri. Indulika
byne
Kaly
2